

2021/208

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

कार्यना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
160/21	188 RTA	आकेडी	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रघुनाथ	बनाम	बजरंगलाल वर्मा	

वकील :- श्री योगेश गुर्जर **आदेश पत्रक** वकील:-
 दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

27.12.2021	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.02.2022 को पेश हो। <i>WV</i>	
7-2-22	गैठसीन अधिकारी <i>कालिदास</i> () में रहने से पूर्ववत दिनांक 11-11-22 को प्रस्तुत हो। <i>WV</i> नय खण्ड अधिकारी बारां	
11-4-22	गैठसीन अधिकारी <i>कालिदास</i> () में रहने से पूर्ववत दिनांक 23-5-22 को प्रस्तुत हो। <i>WV</i> नय खण्ड अधिकारी बारां	<i>जर्ज्य जारी 08.11.22 जी</i> <i>कालिदास श्री विमल 11/11/22</i> <i>कालिदास 11/11/22</i>
23/5/22	गैठसीन अधिकारी <i>कालिदास</i> () में रहने से पूर्ववत दिनांक 11/7/22 को प्रस्तुत हो। <i>WV</i> नय खण्ड अधिकारी बारां	
11-7-22	पत्रावली पेश <i>कालिदास</i> फरीदपुर ज. ज. 13-9-22 को पेश हो। <i>WV</i>	
13-1-22	पत्रावली पेश <i>कालिदास</i> फरीदपुर ज. ज. 15/11/22 को पेश हो। <i>WV</i>	

न रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत की.

31-2-24

रीकर

नए खण्ड अधिकारी वारी

31-2-24

मैदासीन अधिकारी न रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत की.
रीकर
नए खण्ड अधिकारी वारी

8-4-24

मैदासीन अधिकारी न रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत की.
31-3-24
रीकर
नए खण्ड अधिकारी वारी

24-5-24

पत्रावली खाल पेडा हुई। वलुल्लम फरीदग उज्ज।
जबाब से लक्षण चाहे से पत्रावली काहे जबाब
दिनांक 15-7-24 को पेडा है।

15-7-24

पत्रावली पेडा हुई। वलुल्लम फरीदग उज्ज।
जबाब से लक्षण चाहे से पत्रावली काहे जबाब
दिनांक 28-8-24 को पेडा है।

28-8-24

पत्रावली पेडा हुई। वलील वादी एवं वलील
उद्विवादी उज्ज नही। वलील वादी एवं वलील
उद्विवादी के तीम खाट आवाज नवावात्रगत्रि।
वावल्लद प्रचना से वलील वादी एवं वलील
उद्विवादी न्यामाल्प के उज्ज नही। वादी का
वाद उपम राजरी उपम पत्रती के वलील
लिपा जाता से पत्रावली फलल्लुमाल
दील्ल वाद वलील वलील से वलील
पत्रती है।